न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2018 G.C.M.S. No. 2018/00024 दर्ज दिनांक : 31.01.2018

अपीलार्थिगण:

1. नौरतनमल पुत्र मांगीलाल जी जाति नाई निवासी टुकड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृतक शकूर पुत्र सुलेमान फौत के वारिसान–
   1/1 अमरू पुत्र शकूर
   1/2 इकबाल पुत्र शकूर
   1/3 प्रधान पुत्र शकूर
   1/4 शाबीर पुत्र शकूर
   1/5 नैना पुत्र शकूर
   1/6 शरीफा पुत्री शकूर
   1/7 शमू पुत्री शकूर
   1/8 सोहनी बेवा शकूर, जातिगण लुहार मुसलमान, निवासीगण टुकड़ा, तहसील जैतारण, जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।
3. कृष्णा कन्स्ट्रक्शन जरिये साझेदार श्री सुमित सिंघानिया पुत्र बी.पी. सिंघानिया जाति महाजन, निवासी बी शास्त्री नगर नीमच (म.प्र.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2018 द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2016 बअनवान नौरतनमल बनाम शकूर वगैरह

उपस्थित–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्णसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 24.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2018 द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2016 बअनवान नौरतनमल बनाम शकूर वगैरह के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाधिन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की बिना साक्ष्य लिये केवल रेस्पोंडेन्ट के आवेदन आदेश 7 नियम 11 (डी)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर ही निर्णय कर दिया जो कानूनन गलत है। ग्राम टुकड़ा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 463/216 रकबा 10 बीघा भूमि अपीलांट के पक्ष में 5 बीघा भूआवंटन समिति ने आवंटन किया व 5 बीघा भूमि ही शकूर पुत्र सुलेमान को तारीख 6.5.1976 को आवंटन की लेकिन हल्का पटवारी ने ग्राम टुकड़ा के म्युटेशन संख्या 148 तारीख 8.5.1976 को केवल शकुर पुत्र सुलेमान के नाम ही दर्ज कर दिया जबकि आवंटन आदेश माफिक अपीलांट का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था। जिस दुरस्तीकरण हेतु व बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा घोषणात्मक वाद अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने प्रस्तुत किया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पोडेन्ट के आवेदन को ही अंतिम रूप मान लिया जबकि ऐसे मामले में अधिनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेन्ट का जबाब दावा लेकर विधि संगत तनकियात कायम कर व तथ्य संबंधी जो भी तनकी बसली वो सब कायम करके शहादत सबूत लेकर या विधि तनकी को अधिनस्थ न्यायालय सुनवाई करके निस्तारित कर सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया है जो कानूनी रूप से अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध होने से निर्णय डिक्री खारीज करने योग्य है। मौके पर 5 बीघा भुमि पर अपीलांट 1976 से काबिज है तथा इसका उपयोग व उपभोग अपीलांट ही कर रहा है। इतने पुराने कब्जे को बिना ध्यान दिये केवल आदेश 7 नियम 11 (डी) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन को ही अंतिम रूप मान लिया जबकि ऐसा आवेदन केवल कानून द्वारा दावा वर्जित हो तो ही ऐसा आवेदन स्वीकार किया जा सकता था जबकि वाद घोषणात्मक मे कोई कानूनन म्याद नहीं है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय को केवल रेस्पोडेन्ट को मदद करनी थी इसी बदनियति से यह कहते हुये अपीलांट का दावा खारीज कर दिया कि दावा विलम्ब से पेश किया है जबकि ऐसी कानून में दावा पेश करने का कही प्रतिबंध नही है फिर भी दावा खारीज करके अपीलांट के मौलिक अधिकारो पर कुठाराघात किया है जो निर्णय डिकी निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 (डी) एवं धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2018 द्वारा वादपत्र खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

2. अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो वादपत्र का अवलोकन किया व न ही वादपत्र के कथनों का कोई अंकन किया है। जिससे यह स्पष्ट हों कि वादपत्र किसी विशिष्ट विधिक प्रावधानों से बाधित या वर्जित है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व विवेचन किया है तथा प्रकरण पर गुणावगुण के आधार पर टिप्पणी करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र खारिज किया है।

3. आदेश 7 नियम 11 डी व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है–

"11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा–

(ए.) .....

(बी.) .....

(सी.) .....

(डी.) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रकरण में केवल वादपत्र का अवलोकन किया जाना अपेक्षित होता है तथा केवल वादपत्र में किए गए कथनों के आधार पर ही यह विनिश्चय किया जाना अपेक्षित होता है कि वादपत्र या वांछित अनुतोष किसी विधि से वर्जित है या नहीं। इस स्तर पर साक्ष्य या अन्य दस्तावेजों का अवलोकन व विवेचन अनुमत व अपेक्षित नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र के कथनों का कोई उल्लेख नहीं किया है तथा न ही यह स्पष्ट किया है कि वादपत्र किस विधि/विधियों से किस प्रकार से वर्जित या बाधित है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि..... "तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि नामांतरण संख्या 148 शकूर पुत्र सुलेमान के नाम ही भरा था..... पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। आवंटन के आवेदन प्रार्थना पत्र में ओवरराईटिंग प्रतीत होती हैं..... आवंटन सन 1976 में हुआ। वादी 35 वर्षों के बाद असाधारण विलंब के बाद आया है। वादी चाहता तो पूर्व में दावा कर सकता था..... वादी का कोई हक–हिस्सा दर्ज नहीं हैं। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उद्धरणों के मद्देनजर स्वीकार योग्य होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं होने से उचित समझते हैं।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिविरूद्ध रूप से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विवेचन अंकित करते हुए एवं उक्त दस्तावेजात को अंतिम रूप से स्वीकार करते हुए वादपत्र को चलने योग्य नहीं होने के आधार पर खारिज किया है। हमारे विनम्र मत में उक्त टिप्पणी व निष्कर्ष केवल उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय के दौरान ही अपेक्षित होती हैं तथा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का उपर्युक्त निष्कर्ष पूर्णतया विधिविरूद्ध व अनअपेक्षित था। वादपत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र के विचारण एवं निर्णयन का एकमेव क्षेत्राधिकार न्यायालय सहायक कलक्टर को प्राप्त है। वादपत्र के कथनों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादपत्र किसी विधि से वर्जित या बाधित हों।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होती हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2016 बअनवान नौरतनमल बनाम शकूर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य समायत कर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण में विधिनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है, कि वे दिनांक 24.03.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner